

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक:प. 4 (1)साप्र/5/09पार्ट

जयपुर, दिनांक: 8-6-11

प्रबन्धक,  
ट्रांजिट होस्टल,  
जयपुर ।

विषय- ट्रांजिट आवास में परिवर्तन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि श्री लाल चन्द ओझा , आर0 ए0 एस0 (नि0) को इस विभाग के आज्ञा स. 7(1)साप्र/5/08 दिनांक 19.4.08 द्वारा आवास सख्या 10 (ओ0टी0एच0) आवंटित किया गया था ,को आवंटन की दिनांक 19.4.08 से 18.4.2012 तक (अधिकतम 4 वर्ष ) की अवधि के लिए नियमितिकरण करते हुए नियमानुसार देय दरों पर आवास सख्या 10(ओ0टी0एच0) के स्थान पर जी 3/3 (न्यू0टी0एच0) का आवंटन पूर्व निर्धारित शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा स्वीकृती प्रदान की जाती है ।

नवीन आवास पत्र जारी होने के 7 दिवस में शिफ्ट कराने का श्रम करें।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,



उप शासन सचिव

प्रतिलिपि श्री लाल चन्द ओझा ,आर0ए0एस0 (नि0) फ्लेट सं0 10 ओल्ड ट्रांजिट होस्टल, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि पत्र जारी होने के सात दिवस में अपना आवास सख्या 10(ओ0टी0एच0) के स्थान पर जी 3/3 (न्यू0टी0एच0) शिफ्ट करें।

उप शासन सचिव